न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2017 (राजसमन्द डिक्री)

1. श्री लक्ष्मण सिंह पिता धूलसिंह जी राजपूत निवासी भूखाड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्रीमती दाखीबाई बेवा शिवसिंह जी राजपूत निवासी भूखाड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्री उदयसिंह पिता स्व. लहरसिंह जी राजपूत निवासी भूखाड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्री मनोहरसिंह पिता स्व. लहरसिंह जी राजपूत निवासी भूखाड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्रीमती भंवरकुंवर बेवा स्व. लहरसिंह जी राजपूत निवासी भूखाड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री उदयराम पिता स्व. जीतू जी कुमावत निवासी चौकड़ी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री नानालाल पिता स्व. जीतू जी कुमावत निवासी चौकड़ी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्री तुलसीराम पिता स्व. जीतू जी कुमावत निवासी चौकड़ी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा दिनांक 14–06–2016 प्रकरण सं. 135/2015 रेवेन्यू वाद

————/————

1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री डी.एस. शक्तावत अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 से 3
3– राजकीय अधिवक्ता

–––––/–––––

निर्णय **दिनांक 04–12–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चौकड़ी में आराजी संख्या 334 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है। जिसके साबिक नंबर 332मीन, 330/2मीन, 330/3मीन थे। वादीगण के पूर्वाधिकारी धूलसिंह पिता लालसिंह थे। जिनका सजरा वादपत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित है। धूलसिंह के तीन पुत्र होकर वारिसान वादीगण है। निवेदन किया कि साबिक आराजीयात धूलसिंह पिता लालसिंह के खातेदारी की थी। जिसमें सेटलमेन्ट के दौरान खसरा परिशोधन 157 तैयार कर उसमें यह अंकित कर दिया गया कि आराजी साबिक बन्दोबस्त की गलती से धूलसिंह के नाम दर्ज हो गई तथा धूलसिंह ने आकर कहा कि यह आराजी मेरी नहीं होकर जीतू पिता नारायण की है व उसी का कब्जा है, सो मेरा नाम खारिज कर कर उसके नाम दर्ज की जाय तो मुझे आपत्ति नहीं है। इस प्रकार का अंकन कर वर्तमान आराजी नंबर 334 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता जीतू के नाम दर्ज कर दी व उसकी मृत्यु के बाद विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज है। भू–प्रबन्ध विभाग ने बिना अधिकारिता व फर्जी अंगुठे के आधार पर यह कार्यवाही की है। प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं होकर वादीगण काबिज है। मेवाड़ सेटलमेन्ट में भी आराजीयात धूलसिंह के खातेदारी की थी। जीतू कभी खातेदार नहीं रहा। प्रतिवादीगण की त्रुटिपूर्ण राजस्व रेकार्ड में प्रविष्ठी के कारण उनका नाम हटाया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के द्वारा खण्डन का जवाबदावा पेश किया गया तथा भू–प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही को सही बताते हुए वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया। दिनांक 12–4–2016 को प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 ने जवाब नहीं पेश करना चाहा व पत्रावली दिनांक 24–5–2016 को तनकीयात के लिए रखी गई। 24–5–2016 को

26–7–2016 की पेशी दी गई। दिनांक 14–6–2016 को प्रकरण लोक अदालत में पेश हुआ तथा पक्षकारान के मध्य राजीनामा होकर वादीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहे जाने से राजीनामा प्रपत्र पर उभयपक्ष के सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14–6–2016 को हस्ब राजीनामा वाद विड्रो किये जाने के कारण खारिज किया गया। दिनांक 14–6–2016 के अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 2–1–2017 को पेश की गई।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 14–6–2016 को पटवारी ने दावा डिक्री किये जाने के नाम पर हस्ताक्षर करवा लिए, प्रार्थीगण से कोई पूछताछ भी नहीं की गई। विधि विरूद्ध वाद विड्रो का आदेश देकर खारिज कर दिया है। प्रार्थीगण को निर्णय की जानकारी पहली बार 19–12–2016 को हुई व अन्दर जानकारी मयाद यह अपील पेश की जा रही है। ताईद में शपथ पत्र भी दिया। अखण्डित शपथ पत्र व न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की और से अधिवक्ता श्री डी.एस. शक्तावत ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की और से औपचारिक पक्षकार होने से राजकीय आधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की, वहीं रेस्पोन्डेन्ट अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कभी भी अपना वाद विड्रो किये जाने के लिए निवेदन नहीं किया। पटवारी ने दावा डिक्री किये जाने के नाम पर अपीलान्ट के अंगुठे लगवा लिए। वाद लड़ने के लिए अपीलान्ट ने वकील को फीस दी

थी। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना विवेक अनुपयोग आदेश–23, नियम–1 जाब्ता दीवानी के विरूद्ध आदेश पारित किया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 14–6–2016 को सभी अपीलान्ट द्वारा हस्ताक्षर/अंगुठा किये गये है तथा उनकी पहचान हल्का पटवारी ने की है। रेस्पोन्डेन्ट सभी उपस्थित है तथा उनकी पहचान उनके अधिवक्ता ने की है। राजीनामा निम्नानुसार अंकित किया गया :–

"हम वादीगण हमारे द्वारा प्रस्तुत वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा, तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। हमारा आपस में राजीनामा हो चुका है। जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उक्त प्रकरण ड्रोप फरमाया जावे"।

उक्त राजीनामे पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर व पहचानकर्ता के हस्ताक्षर उपलब्ध है। यह तथ्य अपीलान्ट द्वारा भी स्वीकृत है। उसका सिर्फ यह कहना है कि उक्त राजीनामें पर उनसे हस्ताक्षर दावा डिक्री होने का कहकर करवाये गये, अर्थात अपीलान्ट का उजर यह है कि उक्त राजीनामा निर्णय धोखाधड़ी से हुआ है। उक्त राजीनामा के पेश होने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नानुसार अंकन किया है :–

"प्रार्थी/वादी लक्ष्मणसिंह अन्य एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी उदयलाल अन्य द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे"।

उपरोक्त राजीनामा प्रपत्र से सुस्पष्ट है कि राजीनामा पर पक्षकारान के हस्ताक्षर होकर वह पीठासीन अधिकारी के समक्ष आदेश–23, नियम–1 जाब्ता दीवानी के तहत पेश हुआ है, जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा समझाने के बाद पढ़कर, स्वीकार होने के बाद तस्दीक किया है। राजीनामा डिक्री की किसी प्रकार की अपील प्रथमतया तो लाई नहीं होती तथा यदि अपीलान्ट उक्त राजीनामा डिक्री को धोखाधड़ी से प्राप्त किया जाना बताता है, जिसका प्रथम दृष्टया कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है

तथा यह लोक अदालत एवं अधिनस्थ न्यायालय की सदाशयता एवं सत्यनिष्ठा पर अनावश्यक प्रश्नाकित करता है, ऐसे प्रकरणों में यदि कोई धोखाधड़ी हुई है, तो उसके लिए आपराधिक कार्यवाही नहीं किया जाना भी अत्यन्त विस्मयकारी है। धोखाधड़ी से राजीनामा डिक्री के प्रकरणों में राजीनामा डिक्री को निरस्त किये जाने का क्षैत्राधिकार भी इस न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। अपीलान्ट द्वारा लिये गये किसी भी उजर के आधार पर उक्त राजीनामा निर्णय को इस न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है तथा यदि अपीलान्ट वादी उक्त राजीनामा डिक्री को बलपूर्वक अथवा धोखाधड़ी से किया जाना मानता है तो वह इसके लिए प्रकरण सिविल न्यायालय से उक्त डिक्री को निरस्त करवाने के लिए कार्यवाही करने को स्वतन्त्र है।

अपीलान्ट द्वारा इस बाबत् निम्नानुसार न्यायिक नजीरे प्रस्तुत की गई है :–

1. **R.B.J. 2004 Page261 (HC)**
2. **A.I.R. 2008 Pat. Page 128**
3. **A.I.R. 1993 (SC) Page 1138**

उपरोक्त न्यायिक नजीरे इस प्रकरण के तथ्यों से सुसंगत नहीं है। अतएव इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती।

उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री 14–6–2016 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04–12–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....

उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

1–श्री लक्ष्मणसिंह पिता धूलसिंह जी राजपूत निवासी भूखाड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द अन्य–4

बनाम

1– श्री उदयराम पिता स्व.जीतू जी कुमावत निवासी चौकड़ी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द व अन्य–2 सरकार

अपील नं0 **02/2017** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **रेलमगरा** ..... मुकाम मुक्र्खे.....**14**.....माह.....**06**..... **2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**04**..... माह .....**12**..... सन् **2017** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी ....**श्री सजंय बोहरा .....**..... मिनजानिब अपीलान्ट व..... **श्री डी.एस. शक्तावत**..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री 14–6–2016 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**04**..... माह ...**12**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।